



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241958
CG-DL-E-14012023-241958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 243(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ८८५ (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में २८ फरवरी, २०२२ को प्रकाशित की गई थी, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754 K के कि.मी. १७.६०० से की.मी. १९.९०० और की.मी. ३२.२०० से की.मी. ५३.८५० (प्रान्त ऑफिस, भुज-लखपत रोड, नखत्राणा) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१७.०३.२०२२" को "कच्छमित्र" और "टाइम्स ओफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल मजिस्ट्रेट ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. 17.600 से कि.मी. 19.900 और कि.मी. 32.200 से कि.मी. 53.850 (प्रान्त ऑफिस, भुज-लखपत रोड, नखत्राणा)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: कच्छ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लखपत				
	गांव का नाम: घडुली				
1	108/p4	निजी	एग्रिकल्चर	0.0802	हंसराज वालजी पटेल, चंदूलाल वालजी पटेल (108/पी4)
2	118/2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0005	खताबाई करीमना अली रायमा, दादा करीमना अली रायमा, इस्माइल करीमना अली रायमा (118/2)
3	120	निजी	एग्रिकल्चर	0.0005	खताबाई करीमना अली रायमा, दादा करीमना अली रायमा, इस्माइल करीमना अली रायमा (120)
4	122	निजी	एग्रिकल्चर	0.0005	शंकरलाल राजा पटेल (122)
5	123/1	सरकारी	एग्रिकल्चर	0.1512	सरकार (123/1)
6	508/p	सरकारी	गवर्मेंट वेस्ट	1.2756	सरकार

			लेन्ड		(508/पी)
7	508/p	सरकारी	गवर्मेन्ट वेस्ट लेन्ड	2.336	सरकार (508/पी)
8	508/p13	निजी	एग्रिकल्चर	0.0202	पटेल मणिलाल देवजी नारण, पटेल जसवंतभाई देवजी नारण, पटेल रामजी देवजी नारण (508/पी13)
गांव का नाम: जारा					
9	10/p	सरकारी	एग्रिकल्चर	1.8987	सरकार (10/पी)
10	4	सरकारी	एग्रिकल्चर	0.0408	सरकार (4)
11	6/p2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0215	नुरमामद उमर नोतियार, लाखा उमर नोतियार, मूसा उमर नोतियार, गुलमामद उमर नोतियार, आमद उमर नोतियार, सिद्धिक उमर नोतियार, जरार उमर नोतियार, हुरबा उमर नोतियार, कुंवरबाई उमर नोतियार, साले उमर नोतियार (6/पी2)
			कुल	5.8257	

[फा. सं. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 243(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 885(E), dated 28th February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from Km 17.600 to Km 19.900 and Km 32.200 to Km 53.850 (Prant Office, Bhuj Lakhpat Road, Nakhatrana) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Kachchhmitra” and “Times of India” both dated 17.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority; Sub Divisional Magistrate.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from Km. 17.600 to Km. 19.900 and Km 32.200 to Km 53.850 (Prant Office, Bhuj Lakhpat Road, Nakhatrana) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT District: KACHCHH					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Lakhpat				
	Village: Gaduli				
1	108/p4	Private	Agriculture	0.0802	Hansraj Valji Patel, Chandulal Valji Patel 108/p4
2	118/2	Private	Agriculture	0.0005	Khatabai Karimna Ali Rayama, Dada Karimnaali Rayama, Ismail Karimna Ali Rayma 118/2
3	120	Private	Agriculture	0.0005	Khatabai Karimna Ali Rayama, Dada Karimnaali Rayama, Ismail Karimna Ali Rayma 120
4	122	Private	Agriculture	0.0005	Shankarlal Raja Patel 122
5	123/1	Government	Agriculture	0.1512	Government 123/1
6	508/p	Government	Govt. Waste Land	1.2756	Government 508/p
7	508/p	Government	Govt. Waste Land	2.336	Government 508/p
8	508/p13	Private	Agriculture	0.0202	Patel Manilal Devji Naran, Patel Jasvantbhai Devji Naran, Patel Ramji Devji Naran 508/p13
	Village: Jara				
9	10/p	Government	Agriculture	1.8987	Government 10/p
10	4	Government	Agriculture	0.0408	Government 4
11	6/p2	Private	Agriculture	0.0215	Nuramamad Umar Notiyar, Lakha Umar Notiyar, Musa Umar Notiyar,

					Gulmamad Umar Notiyar, Amad Umar Notiyar, Sidhik Umar Notiyar, Jarar Umar Notiyar, Hurba Umar Notiyar, Kunvarbai Umar Notiyar, Sale Umar Notiyar 6/p2
			TOTAL	5.8257	

[F. No. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D2]

RAJESH GUPTA, Director